...क्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। एक रिकार्डेड खातेदार की खातेदारी बिना किसी उचित ...रण व दस्तावेजात से पुष्टि हुए बिना समाप्त नहीं की जा सकती है। वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आधारहीन प्रस्तुत किया गया है तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से वादपत्र की पुष्टि नहीं होने के कारण वादपत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र साबित नहीं होने तथा आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15/01/11 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner